सं.40-3/2020-डीएम-I(ए)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
***

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 30 सितम्बर, 2020

आदेश

जबकि, देश में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए, दिनांक 30.09.2020 तक की अवधि के लिए, दिनांक 29.08.2020 का समसंख्यक आदेश जारी किया गया था;

जबकि, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6(2)(झ) के अंतर्गत, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी को कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में और अधिक गतिविधियां शुरू करने और कंटेनमेंट जोनों में, लॉकडाउन को 31.10.2020 तक बढ़ाने के लिए एक आदेश जारी करने का निर्देश दिया है;

अत: अब, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10(2)(ठ) के अंतर्गत, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी यह निदेश देते हैं कि फिर से शुरू करने के बारे में **संलग्न दिशानिर्देश**, 31.10.2020 तक लागू रहेंगे।

हस्ता0/-

केन्द्रीय गृह सचिव

एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एनईसी)

सेवा में:

1. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक (संलग्न सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

i. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य।
ii. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

फिर से शुरू करने के बारे में दिशानिर्देश

[गृह मंत्रालय के दिनांक 30, सितम्बर, 2020 के आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-I (ए) के अनुसार]

1. कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में अनुमति प्रदान की गई गतिविधियां

कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में, निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी:

(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें 15 अक्तूबर, 2020 के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को क्रमिक रूप से फिर से खोले जाने के बारे में निर्णय ले सकती हैं। यह निर्णय संबंधित स्कूल/संस्थान प्रबंधन के परामर्श से, स्थिति के आकलन के आधार पर, तथा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन लिया जाएगा :

क. शिक्षण के ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग के तरीके को तरजीह दिया जाना जारी रहेगा तथा इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

ख. जहां स्कूल ऑनलाईन क्लॉस चला रहे हों तथा कुछ छात्र स्कूल में उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन क्लॉस में शामिल होना चाहें तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।

ग. छात्र अपने माता-पिता की लिखित सहमति से ही स्कूलों/संस्थानों में आ सकते हैं।

घ. उपस्थिति को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए और यह पूरी तरह से माता-पिता की सहमति पर निर्भर करेगी।

ङ. स्कूलों/संस्थानों को फिर से खोले जाने के लिए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के एहतिहात के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के आधार पर, स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी स्वयं की मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करेंगे।

च. जिन स्कूलों को खोले जाने की अनुमति होगी उनको राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी की जाने वाली उक्त मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

(ii) कॉलेजों/उच्चतर शिक्षा संस्थानों को खोले जाने के बारे में उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, स्थिति के आकलन के आधार पर, गृह मंत्रालय के परामर्श से निर्णय ले सकता है। शिक्षण के ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग के तरीके को तरजीह दिया जाना जारी रहेगा तथा इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

तथापि केवल रिसर्च स्कॉलर्स (पीएच.डी) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्ट्रीम के पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रों, जिनके लिए लेबोरेट्री/प्रायोजित कार्य अपेक्षित होते हैं, के लिए ही उच्चतर शिक्षा संस्थानों को 15 अक्तूबर, 2020 से खोले जाने की अनुमति निम्न प्रकार प्रदान की जाएगी :

(क) केंद्र द्वारा वित्त-पोषित उच्चतर शिक्षा संस्थानों के संबंध में संस्थान के प्रमुख इस बात से अपनी संतुष्टि करेंगे कि रिसर्च स्कॉलर्स तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्ट्रीम में पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रों के लिए लेबोरेट्री/प्रायोजित कार्यों की वास्तव में आवश्यकता है।

(ख) जहां तक राज्य विश्वविद्यालयों, प्राइवेट विश्वविद्यालयों आदि जैसे अन्य सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों का संबंध है, इन्हें केवल रिसर्च स्कॉलर्स (पीएच.डी) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्ट्रीम के पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रों, जिनको लेबोरेट्री/प्रायोजित कार्यों की आवश्यकता होती है, के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुसार खोला जा सकता है।

(iii) खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्विमिंग पूल्स को 15 अक्तूबर, 2020 से खोले जाने की अनुमति होगी जिसके लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) युवा कार्य एवं खेल मंत्रलाय द्वारा जारी की जाएगी।

(iv) सिनेमा/थियेटरों/मल्टीप्लेक्स को केवल कंटेनमेंट जोनों से बाहर 15 अक्तूबर, 2020 से 50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी, जिसके लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।

(v) मनोरंजन पार्कों तथा ऐसे अन्य स्थानों को केवल कंटेनमेंट जोनों से बाहर खोले जाने की अनुमति 15 अक्तूबर, 2020 से प्रदान की जाएगी, जिसके लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।

(vi) बिजनेस टु बिजनेस (B2B) एग्जीबिशंस को, केवल कंटेनमेंट जोनों के बाहर, 15 अक्तूबर, 2020 से खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी, जिसके लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) वाणिज्य विभाग द्वारा जारी की जाएगी।

(vii) सामाजिक/शैक्षणिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिज्ञ कार्यों तथा अन्य सभाओं को केवल कंटेनमेंट जोनों के बाहर 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ पहले ही अनुमति प्रदान की जा चुकी है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा कंटेनमेंट जोनों के बाहर 100 व्यक्तियों की सीमा से अधिक ऐसी सभाओं की

अनुमति 15 अक्तूबर, 2020 के बाद तथा निम्नलिखित शर्तों के साथ ही दी जा सकती है :

(क) बंद स्थानों में हॉल की क्षमता की अधिकतम 50 प्रतिशत किंतु 200 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ अनुमति होगी । फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग का प्रावधान तथा हैंड वॉश और सैनिटाईजर का प्रयोग अनिवार्य होगा।

(ख) खुले स्थानों में मैदान/स्थान के आकार को ध्यान में रखते हुए तथा सोशल डिस्टेसिंग के सख्ती से पालन, अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, थर्मल स्कैनिंग तथा हैंड वॉश और सैनिटाइजर के प्रावधान के साथ।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें इस प्रकार की सभाओ को विनियमित करने के लिए विस्तृत मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेंगी तथा उसे सख्ती से लागू करेंगी।

(viii) यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा, गृह मंत्रालय द्वारा दी गई अनुमति के सिवाय।

2. कोविड-19 की रोकथाम के बारे में राष्ट्रीय निर्देश

कोविड-19 की रोकथाम के बारे में **अनुलग्नक-I** में यथाविर्निष्ट राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाना जारी रहेगा।

3. लॉकडाउन को कंटेनमेंट जोनों तक सीमित रखना

(i) कंटेनमेंट जोनों में लॉकडाउन 31 अक्तूबर, 2020 तक लागू रहेगा।

(ii) कंटेनमेंट जोनों का निर्धारण, संक्रमण की श्रृंखला को कारगर तरीके से रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिला प्राधिकारियों द्वारा माइक्रो लेवल पर किया जाएगा। इन कंटेनमेंट जोनों में कंटेनमेंट के उपायों को सख्ती से लागू किया जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इन जोनों में लोगों के आने और इन जोनों से लोगों के बाहर जाने को रोकने के लिए, सख्त घेराबंदी की जाएगी। यहां केवल चिकित्सा संबंधी आपात सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए संबंधित लोगों की आवाजाही की अनुमति रहेगी। इन कंटेनमेंट जोनों में गहन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी, हर घर की निगरानी की जाएगी, और अन्य

अपेक्षित चिकित्सा उपाय किए जाएंगे। उपर्युक्त प्रयोजन के लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।

(iii) सम्बंधित जिलाधिकारियों द्वारा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वेबसाइट पर कंटेनमेंट जोनों की सूचना दी जाएगी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सूचना साझा की जाएगी।

4. केन्द्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें कंटेनमेंट जोनों से बाहर कोई लोकल लॉकडाउन (राज्य/जिला/सब-डिवीजन/शहर स्तर पर) नहीं लगाएंगी।

5. राज्य के भीतर और राज्यों के बीच आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं

राज्यों के भीतर और राज्यों के बीच लोगों और सामानों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसमें पड़ोसी देशों के साथ समझौतों के तहत, सीमा पार व्यापार भी शामिल है। ऐसी आवाजाही के लिए अलग से कोई अनुमति/अनुमोदन /ई-परमिट आवश्यक नहीं होगा।

6. मानक प्रचालन प्रक्रिया के साथ लोगों की आवाजाही

यात्री ट्रेनों द्वारा आवागमन; घरेलू यात्री हवाई यात्रा; वंदे भारत और एयर ट्रांसपोर्ट बबल फ्लाइट्स में लोगों का आवागमन; तथा इंडियन सीफेयरर्स का साइन-इन और साइन-ऑफ जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार विनियमित किया जाना जारी रहेगा।

7. कमज़ोर व्यक्तियों की सुरक्षा

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है।

8. आरोग्य सेतु का उपयोग

(i) आरोग्य सेतु, संक्रमण के आशंकित खतरे का शुरू में ही पता लगाने में सहायता करता है और इस प्रकार यह व्यक्तियों और समुदायों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है।

(ii) कार्यालयों और कार्य स्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, नियोक्ताओं को विशेष प्रयास करके यह सुनिश्चित करना होगा कि कम्पेटिबल मोबाइल फोन रखने वाले सभी कर्मचारियों द्वारा आरोग्य सेतु को इन्सटॉल कर लिया गया है।

(iii) जिला प्राधिकारी लोगों को यह सलाह दें कि वे कम्पेटिबल मोबाइल फोनों पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को इंस्टाल करें और एप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करें। इससे जोखिम वाले लोगों को समय पर चिकित्सा मुहैया कराने में सुविधा होगी

9. दिशानिर्देशों को कड़ाई से लागू करना

i. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी किए गए इन दिशानिर्देशों में कोई ढील नहीं देंगी।

ii. सोशल डिस्टेंसिंग लागू करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, जहां तक संभव हो, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के प्रावधानों का प्रयोग कर सकती हैं।

iii. सभी जिला मजिस्ट्रेट इन उपायों को कड़ाई से लागू करेंगे।

10. दंडात्मक प्रावधान

इन उपायों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और यथा लागू, अन्य कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत, कानूनी कार्रवाई करने के अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार, कार्रवाई की जाएगी। इन दंडात्मक प्रावधानों के उद्धरण **अनुलग्नक II** में दिए गए हैं।

हस्ता0/-
केन्द्रीय गृह सचिव
एवं, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति

अनुलग्नक-I

कोविड 19 की रोकथाम के बारे में राष्ट्रीय निर्देश

1. **फेस कवर करना:** सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्य-स्थलों पर और परिवहन के दौरान, फेसकवर पहनना अनिवार्य है।
2. **सोशल डिस्टेंसिंग बनाना:** व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर कम-से-कम 6 फीट की दूरी (दो गज की दूरी) रखी जाएगी।
   दुकानों में ग्राहकों के बीच दूरी सुनिश्चित की जाएगी।

3. **सार्वजनिक स्थानों पर थूकना**, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार यथा निर्धारित जुर्माने से दंडनीय होगा।

कार्यस्थल के बारे में अतिरिक्त निर्देश

4. **घर से कार्य करना (डब्ल्यूएफएच):** जहां तक संभव हो, वर्क फ्रॉम होम की प्रणाली अपनाई जानी चाहिए।
5. **कार्य/व्यवसाय के अलग-अलग समय का पालन** कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों तथा औद्योगिक एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों में किया जाएगा।
6. **स्क्रीनिंग और स्वच्छता:** सभी प्रवेश स्थलों में थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने या सेनिटाइजर तथा निकास स्थलों और कॉमन एरिया में हाथ धोने या सेनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी।
7. **बार-बार सेनिटाइजेशन:** समस्त कार्यस्थल, जन सुविधास्थलों और दरवाजे के हैंडल आदि जैसे मानव संपर्क में आने वाली सभी चीजों का बार-बार सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा और यह हर शिफ्ट के बाद भी किया जाएगा।
8. **सोशल डिस्टेंसिंग:** कार्यस्थलों के सभी प्रभारी व्यक्ति, कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, शिफ्टों के बीच पर्याप्त अंतराल, स्टॉफ के लंच ब्रेक के अलग-अलग समय आदि द्वारा, सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करेंगे।

*****

लॉकडाउन उपायों के उल्लंघन का अपराध करने पर दंड

क. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60

51. बाधा डालने, आदि के लिए दंड.- जो कोई, युक्तियुक्त कारण के बिना,

क. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा; या

ख. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारी समिति या उसकी ओर से दिए गए किसी निर्देश का पालन करने से इंकार करेगा;

वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा और ऐसी बाधा या निर्देश का पालन करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप जीवन की हानि होती है या उनके लिए आसन्न खतरा पैदा होता है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

52. मिथ्या दावे के लिए दंड.- जो कोई जानबूझकर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण से आपदा के परिणामस्वरूप कोई राहत, सहायता, मरम्मत, पुनर्निर्माण या अन्य फायदे अभिप्राप्त करने के लिए ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या विश्वास करने का उसके पास कारण है कि वह मिथ्या है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

53 धन या सामग्री आदि के दुरुपयोग के लिए दंड.- जो कोई, जिसे किसी आपदा की आशंका की स्थिति, या आपदा में राहत पहुँचाने के लिए आशयित कोई धन या सामग्री सौंपी गयी है या अन्यथा कोई धन या माल उसकी अभिरक्षा या आधिपत्य में है और वह ऐसे धन या सामग्री या उसके किसी भाग का दुरुपयोग करेगा या अपने स्वयं के उपयोग के लिए उपयोजन करेगा अथवा उसका व्ययन करेगा या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए विवश करेगा, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

54. मिथ्या चेतावनी के लिए दंड.- जो कोई, किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणाम के सम्बन्ध में आतंकित करने वाली मिथ्या संकट-सूचना या चेतावनी देता है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, दंडनीय होगा।

55. सरकार के विभागों द्वारा अपराध.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहां विभागाध्यक्ष ऐसेअपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य अधिकारी की स्वीकृति या मौन सहमति से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

56. अधिकारी की कर्तव्य पालन में असफलता या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के प्रति मौन सहमति.- ऐसा कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है और जो अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा या करने से इंकार करेगा या स्वयं को उससे विमुख कर लेगा तो, जब तक कि उसने अपने से वरिष्ठ अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त न कर ली हो या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई अन्य विधिपूर्ण कारण न हो, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दंडनीय होगा।

57. अध्यपेक्षा के सम्बन्ध में किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति.- यदि कोई व्यक्ति धारा 65 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

58. कम्पनियों द्वारा अपराध.- (1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी या निगमित निकाय द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध को किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई लिए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की स्वीकृति या मौन सहमति से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए –

क. "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है; और

ख. फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से अभिप्रेत उस फर्म के भागीदार से है।

59. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी.- धारा 55 और 56 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए अभियोजन, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या ऐसी सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

60. अपराधों का संज्ञान.- कोई भी अदालत, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा परिवाद किए जाने के सिवाय नहीं करेगा-

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या, यथास्थिति, उस प्राधिकारी या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा, जैसा भी केस हो; या

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने अभिकथित अपराध की और राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या पूर्वोक्तानुसार प्राधिकृत या अधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी को परिवाद करने के अपने आशय की विहित रीति में कम-से-कम तीस दिन की सूचना दे दी है।

ख. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188

188. लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा.— जो कोई यह जानते हुए कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से, जो ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए विधिपूर्वक सशक्त है, कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए या अपने कब्जे में, या अपने प्रबन्धाधीन, किसी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे निदेश की अवज्ञा करेगा; यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति, अथवा बाधा, क्षोभ या क्षति की रिस्क कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा; और यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को संकट कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, या बलवा या दंगा कारित करती हो, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण— यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का आशय अपहानि उत्पन्न करने का हो या उसके ध्यान में यह हो कि उसकी अवज्ञा करने से अपहानि होने की संभावना है। यह पर्याप्त है कि जिस आदेश की वह अवज्ञा करता है, उस आदेश का उसे ज्ञान है, और यह भी ज्ञान है कि उसके अवज्ञा करने से अपहानि उत्पन्न होती या होनी संभाव्य है।

दृष्टांत

ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए अधिकार प्राप्त किसी लोक सेवक द्वारा यह निदेश देते हुए एक आदेश प्रख्यापित किया गया है कि एक धार्मिक जुलूस एक निश्चित सड़क से नहीं गुजरेगा। A जानबूझकर इस आदेश की अवज्ञा करता है, और जिससे दंगे का खतरा होता है। A ने इस खंड में परिभाषित अपराध किया है।

*****